न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
36/2025	FSS ACT	09.09.2025	28.11.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. दीपक पाठक पुत्र श्री नेत्रपाल पाठक, उम्र 36 साल, विक्रेता/मालिक मैसर्स – वात्सल्य एजेंसीज, नर्सरी रोड, जगदीश तिराहा धौलपुर, निवासी शिवनगर नर्सरी रोड, जगदीश तिराहा धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 21.04.2025 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्स :– वात्सल्य एजेंसीज, नर्सरी रोड, जगदीश तिराहा धौलपुर पर पहुंचा मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम दीपक पाठक पुत्र श्री नेत्रपाल पाठक, उम्र 36 साल, विक्रेता/मालिक मैसर्स – वात्सल्य एजेंसीज, नर्सरी रोड, जगदीश तिराहा धौलपुर, निवासी शिवनगर नर्सरी रोड, जगदीश तिराहा धौलपुर बताया एवं खाद्य लाईसेंस मौके पर दिखाया जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे फ्रीजर में लगभग 60 पैकेट (प्रत्येक 700 एमएल) वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मावा का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त 60 पैकेट (प्रत्येक 700 एमएल) वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) में से 04 पैकेट (प्रत्येक 700 एमएल) वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता दीपक पाठक पुत्र श्री नेत्रपाल पाठक को रू. 340/– (तीन सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 पैकेट (प्रत्येक 700 एमएल) वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) को प्रत्येक बोतल में पैकेट को खोलकर बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 36–36 बूँदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3392 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम , नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं चारों पैकिटों के लेबिलों को भी बोतल के चारों ओर लपेटा एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3392 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर दीपक पाठक पुत्र श्री नेत्रपाल पाठक के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण अनुसंधान के दौरान विक्रेता से पत्र के माध्यम से क्रय बिल उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जिस पर विक्रेता द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया पत्र की प्रति परिवाद के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

28 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/366/एक्ट/2025/386 दिनांक 30.04.2025 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया मूल जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी विपक्षी है और प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे को नहीं लडना चाहता है और मुकदमे का निस्तारण कराना चाहता है। प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण कर कम से कम जुर्माना लागये जाने की कृपा करें जो न्यायहित में उचित व आवश्यक है। उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी मुकदमा नहीं लडना चाहता है और अपने जुर्म को स्वीकार करता है। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार कर धारा 26(2)(ii) FSS की कार्यवाही ड्राप किये जाने की कृपा की जावे।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./366/Act/2025/386 DATE 30-04-2025** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"**Opinion**- The sample of **'Vanila Lce Cream'** bearing code & serial No. **D-3392** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Sub-Standard** as it does not conform to the Prescribed standards of food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Act, 2006.

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैंडर्ड वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड वनिला आईसक्रीम (नमस्ते इंडिया) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी दीपक पाठक पुत्र श्री नेत्रपाल पाठक, उम्र 36 साल, विकेता/मालिक मैसर्स – वात्सल्य एजेंसीज, नर्सरी रोड, जगदीश तिराहा धौलपुर, निवासी शिवनगर नर्सरी रोड, जगदीश तिराहा धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 11000/-रुपये

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ग्यारह हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner